

राजस्थान-सरकार  
कृषि विपणन निदेशालय, जयपुर

क्रमांक:-प.46/निकृवि/भू0अ0/कोटा/ 48483


दिनांक:- 02-01-18

सचिव  
कृषि उपज मण्डी समिति  
(अनाज) कोटा

विषय:- सेठ भामाशाह मण्डी विस्तार के भूमि प्रत्यावर्तन हेतु ऑनलाईन करने के लिए अधिकृत करने बाबत  
प्रसंग:- आपका पत्र क्रमांक 5165 दिनांक 15.12.2017

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र से प्रस्तावानुसार कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज), कोटा के विस्तार हेतु 96 हैक्टेयर भूमि जो कि वन विभाग की सीमा में आती है, के प्रत्यावर्तन प्रस्ताव के कारण ऑनलाईन करने एवं इस संबंध में अग्रिम कार्यवाही करने हेतु आपको राज्य सरकार के स्वीकृति क्रमांक प.6(25)कृषि/गुप-2/2003 दिनांक 26.12.2017 के क्रम में अधिकृत किया जाता है।

संलग्न:- राज्य सरकार द्वारा जारी स्वीकृति की छायाप्रति

  
02-01-2018  
(नन्मूल पहाड़िया)  
निदेशक  
कृषि विपणन

डा. व. क.  
अ. 11/18

राजस्थान सरकार  
कृषि (ग्रुप-2)विभाग

क्रमांक: प 6(25)कृषि/ग्रुप-2/2003

जयपुर,दिनांक: 26 DEC 2017

निदेशक,  
कृषि विपणन विभाग,  
राजस्थान जयपुर।

DD(L)

27-12-17

विषय:-सेठ भामाशाह मण्डी विस्तार के भूमि प्रत्यावर्तन हेतु ऑन लाईन करने के लिए अधिकृत करने बाबत।

सन्दर्भ:-आपका पत्र क्रमांक प. 46/ निकृवि/ भू.अ./ कोटा/ 43995  
दिनांक 18-12-2017

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके सन्दर्भित पत्र से प्रस्तावानुसार कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज) कोटा के विस्तार हेतु 96 हैक्टेयर भूमि जो कि वन विभाग की सीमा में आती है, के प्रत्यावर्तन प्रस्ताव के कारण ऑन लाईन करने एवं इस संबंध में अग्रिम कार्यवाही करने हेतु सचिव कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज) कोटा को अधिकृत किया जाता है।

1157/AM  
28-12-17

भवदीय,

(आर.पी.विजय)  
शासन उप सचिव